

रिपोर्ट मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

रिपोर्ट में संघ सरकार के रेल मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2014-15 की अवधि के लिये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये इसके साथ-साथ वे जो पूर्व वर्ष में ध्यान में आये, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके; जहां भी आवश्यक है 2014-15 की बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण भी शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

-----X-----